किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बहराइच (उ0प्र0)
(स्वायत्तशासी)

महाविद्यालय में सत्र 2024–25 में प्रवेश प्रक्रिया हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश

उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा जारी शासनादेशों के अनुपालन में राष्ट्रीय शिक्षा निति– 2020 का कियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु न्यूनतम सामान पाठ्क्रम (Minimum Common Syllabus) एवं सी0बी0सी0एस0 (Choice Based Credit System) पर आधारित Semester System को अंगीकृत करते हुए महाविद्यालय में प्रवेश प्रकिया निम्न दिशानिर्देशों के आधार पर होगी।

संकाय हेतु आवश्यक पात्रता

a) **विज्ञान संकाय हेतु पात्रता**

विज्ञान विषय से इण्टर उत्तीर्ण करने वाला विद्यार्थी विज्ञान संकाय में प्रवेश हेतु पात्र होगा।

b) **कला संकाय हेतु पात्रता**

कला वर्ग/विज्ञान वर्ग/वणिज्य वर्ग/कृषिवर्ग/व्यावसायिक वर्ग से इण्टर उत्तीर्ण करने वाला विद्यार्थी कला संकाय में प्रवेश हेतु पात्र होगा।

c) **वाणिज्य संकाय हेतु पात्रता**

- वाणिज्य विषयों से इण्टर उत्तीर्ण करने वाला विद्यार्थी स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय में प्रवेश हेतु पात्र होगा।

अथवा

- विज्ञान वर्ग से इण्टर उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी ने यदि हाईस्कूल अथवा इण्टर में गणित विषय लिया है तो वह वाणिज्य संकाय में प्रवेश हेतु अर्ह होगा।

अथवा

- कला वर्ग से इण्टर उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी ने यदि हाईस्कूल में गणित का अध्ययन किया है अथवा इण्टर में कला वर्ग के अन्तर्गत गणित या अर्थशास्त्र का अध्ययन किया है तो वह वाणिज्य संकाय में प्रवेश हेतु अर्ह होगा।

अथवा

- कृषि वर्ग से इण्टर उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी ने यदि हाईस्कूल स्तर पर गणित का अध्ययन किया है तो वह स्नातक में वाणिज्य संकाय में प्रवेश हेतु अर्ह होगा।

अथवा

- व्यावसायिक वर्ग से इण्टर उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी ने यदि हाईस्कूल स्तर पर गणित का अध्ययन किया है तो वह स्नातक में वाणिज्य संकाय में प्रवेश हेतु अर्ह होगा।

मेरिट लिस्ट का निर्धारण

बी0ए0/बी0एस–सी0/बी0काम0 एवं एम0ए0/एम0एस–सी/एम0काम0 प्रथम वर्ष में प्रवेश मेरिट के आधार पर होगा जिसका निर्धारण निम्न प्रकार से होगा।

1. स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए इण्टरमीडिएट के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जायेगी।
2. परास्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए स्नातक स्तर के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जायेगी।

आरक्षण की व्यवस्था

अनुसूचित जाति– 21 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति– 02 प्रतिशत
अन्य पिछड़ा वर्ग– 27 प्रतिशत
ई0डब्लू0एस0– 10 प्रतिशत

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित आरक्षण क्षैतिज रूप से होंगें।

शारीरिक दिव्यांग– 03 प्रतिशत
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित– 02 प्रतिशत
भूतपूर्व सैनिक/युद्ध में अपंग/शहीद रक्षाकर्मी के पाल्य– 02 प्रतिशत
कारगिल में शहीद/विकलांग– 01 प्रतिशत
कश्मीर के विस्थापित– 01 प्रतिशत

अन्य आरक्षण–

शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी के पाल्य के प्रवेश में मेरिट लिस्ट की बाध्यता नहीं होगी।
महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का आरक्षण– 02 प्रतिशत

भारांक

एन0सी0सी0 प्रमाण पत्र धारक– 02 अंक
एन0एस0एस0 सामान्य कार्यक्रम प्रमाण पत्र धारक – 01 अंक
एन0एस0एस0 विशेष शिविर प्रमाण पत्र धारक – 02 अंक
रोवर्स रेंजर्स/ स्काउट प्रमाण पत्र धारक– 02 अंक
खिलाड़ी राज्य स्तर पर प्रमाण पत्र धारक– 01 अंक
खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाण पत्र धारक– 02 अंक

अन्य नियम–

- आनलाइन आवेदन पत्र केवल एक ही कक्षा के प्रवेश में प्रयुक्त होगा।
- अभद्र व्यवहार करने वाले विद्यार्थी का प्रवेश नहीं किया जायेगा।
- परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग करने वाले विद्यार्थी का प्रवेश नहीं किया जायेगा।
- पिछली परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का पुनः उसी कक्षा में प्रवेश नहीं होगा।
- अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार प्राचार्य किसी भी अभ्यर्थी को बिना कारण बताये प्रवेश देने से मना कर सकता है।
- व्यक्तिगत (Private) रूप से उत्तीर्ण विद्यार्थी का प्रवेश नहीं होगा।
- इण्टरमीडिएट के पश्चात स्नातक स्तर में प्रवेश हेतु अधिकतम तीन वर्ष से अधिक अन्तराल नहीं होना चाहिए।
- एक वर्ष के अन्तराल पर– 05 प्रतिशत एवं दो वर्ष के अन्तराल पर– 10 प्रतिशत तथा तीन वर्ष के अन्तराल पर– 15 प्रतिशत अंक कम किये जायेंगें।
- परीक्षा में सम्मलित होने के लिए उपस्थिति 75 प्रतिशत होनी चाहिए।
- किसी विद्यार्थी को कालेज में शिक्षण कार्य शुरू हो जाने के पश्चात अपने विषय एवं संकाय परिर्वतन की अनुमति नहीं दी जायेगी।

स्नातक (बी0ए0 / बी0एस–सी0 / बी0काम0) प्रथम वर्ष

1. विद्यार्थी सर्वप्रथम महाविद्यालय की वेबसाइट www.kisanpgcollege.ac.in पर दिये गये लिंक पर Online स्नातक में प्रवेश हेतु आवेदन करेगा।
2. ABC ID के लिए विद्यार्थी दिये गये लिंक निर्देश के अनुसार पंजीकरण करेगा।
3. पंजीकरण हेतु फार्म में दिये गये व्यक्तिगत विवरण को पूरित करेगा तथा निर्धारित स्थान पर फोटो एवं हस्ताक्षर को अपलोड करेगा। इसके पश्चात् अपना शैक्षिक विवरण एवं बैंक विवरण की सूचना भरेगा।
4. इसके पश्चात् विद्यार्थी निम्न संकायों के विभिन्न विषयों में से विषय–चयन हेतु नीचे दी गयी 'दिशा–निर्देश विवरणिका' के अनुसार तीन मेजर विषय एवं एक माइनर विषय तथा एक को–करीकुलर कोर्स एवं एक वोकेशनल कोर्स का चुनाव करके फार्म को Submit करेगा।
5. इसके पश्चात् विद्यार्थी निर्धारित पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन जमा करके भरे हुए पूरित फार्म की तीन प्रतियां ले लेगा।
6. निर्धारित तिथि पर आरक्षण की व्यवस्थानुसार मेरिट लिस्ट महाविद्यालय की वेबसाइट पर www.kisanpgcollege.ac.in पर जारी की जायेगी।
7. मेरिट लिस्ट के अनुसार काउन्सिलिंग हेतु निर्धारित दिनांक पर विद्यार्थी अपने भरे हुए पंजीकरण फार्म को समस्त शैक्षणिक, आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों की मूल प्रतियों के साथ एक एक फोटो प्रति सहित महाविद्यालय में प्रवेश समिति के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।
8. प्रवेश समिति के अनुमोदन / स्वीकृति के पश्चात् विद्यार्थी को महाविद्यालय में प्रवेश दिया जायेगा।
9. प्रवेश समिति द्वारा सत्यापित होने के पश्चात् आनलाइन / बैंक चालान के माध्यम से विद्यार्थी को विषयानुसार निर्धारित प्रवेश शुल्क जमा करना होगा।
10. विद्यार्थी द्वार जमा की गयी फीस रसीद की एक प्रति भविष्य में प्रयोग हेतु अपने पास रखेगा एवं महाविद्यालय प्रति को महाविद्यालय में जमा करेगा।

विद्यार्थियों हेतु संकाय एवं विषयों का चयन सम्बन्धी दिशा निर्देश विवरिणका

Faculty (संकाय)

स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने के लिए महाविद्यालय में कुल 6 संकाय प्रचालित हैं, जिनके अन्तर्गत विभिन्न विषय महाविद्यालय में संचालित है–

i- **Faculty of Language (भाषा संकाय)–**

- Hindi (हिन्दी)
- English (अंग्रेजी)
- Sanskrit (संस्कृत)
- Urdu (उर्दू)

ii- **Faculty of Arts, Humanities and social sciences (कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय)–**

- Ancient History, Archaeology & Culture (प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति)
- Defence and Strategic Studies (रक्षा एवं सामरिक रणनीति अध्ययन)- प्रायोगिक
- Economics (अर्थशास्त्र)- प्रायोगिक
- Education (शिक्षाशास्त्र)- प्रायोगिक
- Geography (भूगोल)– प्रायोगिक
- Medieval & Modern History (इतिहास)
- Home Science (गृह विज्ञान)– प्रायोगिक
- Philosophy (दर्शनशास्त्र)– प्रायोगिक
- Physical Education (शारीरिक शिक्षा)– प्रायोगिक
- Political Science (राजनीति विज्ञान)– प्रायोगिक
- Psychology (मनोविज्ञान)– प्रायोगिक
- Sociology (समाज शास्त्र)– प्रायोगिक

iii- Faculty of Science (विज्ञान संकाय)

- Biochemistry (जैव रसायन विज्ञान)
- Botany (वनस्पति विज्ञान)
- Chemistry (रसायन विज्ञान)
- Computer Application (कम्प्यूटर अनुप्रयोग)

- Environmental Science (पर्यावरण विज्ञान)
- Mathematics (गणित)
- Physics (भौतिक विज्ञान)
- Zoology (जन्तु विज्ञान)

iv- Faculty of Commerce (वाणिज्य संकाय)

- Commerce (वणिज्य)

नोट– पाठ्यक्रम (Syllabus) के अनुसार दिये गये प्रश्न–पत्र ही मेजर विषय एवं माइनर विषय के रूप में होंगे।

v- Faculty of fine Arts and Performing Arts (ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय)

- Drawing & Painting (चित्रकारी)

vi- **Faculty of Teacher Education (शिक्षक–शिक्षा संकाय)**

- Teacher Education (अध्यापक शिक्षा) B.Ed.

नोट– इस संकाय में प्रवेश उ0प्र0 स्तर पर आयोजित (बी0एड0) प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा।

विद्यार्थियों हेतु संकाय एवं विषयों का चयन

तीन मेजर विषयों का चयन

1. उपर्युक्त संकायों में से पात्रता के आधार पर किसी एक संकाय का चयन करेगा जो कि '**अपना संकाय' (Own Faculty)** कहा जायेगा तथा शेष संकायों को **'अन्य संकाय' (Other Faculty)** कहा जायेगा।
2. इसके पश्चात विद्यार्थी **'अपना संकाय' (Own Faculty)** में से किन्हीं दो विषयों का चयन करेगा जिसमें से पहला विषय मेजर I तथा दूसरा विषय मेजर II के रूप में होगा। (यह ध्यान देने योग्य है कि विद्यार्थी उन्हीं मेजर (I/II) विषयों का चयन करे जो उसे तीसरे वर्ष (V & VI सेमेस्टर) तक पढ़ना है, साथ ही साथ वह परास्नातक की डिग्री प्राप्त करने के लिए इन्हीं दोनो विषयों मे से अनिवार्यतः किसी एक विषय का चयन करेगा)। संकाय चयन करते समय विद्यार्थी शिक्षक शिक्षा संकाय का चयन नहीं करेगा क्योकि यह बी0एड0 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों हेतु निर्धारित है।
3. तीसरे मेजर विषय का चयन विद्यार्थी **'अन्य संकाय' (Other Faculty)** अथवा **'अपना संकाय' (Own Faculty)** से करेगा जो मेजर विषय III के रूप में होगा। **किन्तु यदि कोई विद्यार्थी भाषा संकाय से दो मेजर विषय का चयन करता है तो तीसरा मेजर विषय वह अनिवार्य रूप से भाषा संकाय के अतिरिक्त किसी अन्य संकाय से चयनित करेगा।**
4. यह ध्यान देने योग्य है कि विद्यार्थी तीसरे मेजर विषय के रूप में चयनित किये हुए विषय को ही तीसरे वर्ष (पंचम सेमेस्टर) में नहीं लेगा। पहले एवं दूसरे मेजर विषयों मे से किसी मेजर विषय को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

तीन मेजर विषयों के संयोजन हेतु निर्देश

1. दो से अधिक भाषा विषयों का चयन नहीं किया जा सकेगा।
2. उर्दू, संस्कृत और गणित विषयों में से किन्ही दो विषयों का ही चयन करेगा।
3. 'प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति' एवं 'मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास' विषयों में से किसी एक विषय का ही चयन करेगा।
4. भूगोल एवं दर्शन शास्त्र विषयों में से किसी एक विषय का ही चयन करेगा।
5. गृह विज्ञान एवं अर्थशास्त्र विषयों में से किसी एक विषय का ही चयन करेगा।
6. शारीरिक शिक्षा एवं चित्रकारी विषयों में से किसी एक विषय का ही चयन करेगा।
7. गणित और जन्तु विज्ञान विषयों में से किसी एक विषय का ही चयन करेगा।
8. 'रक्षा एवं सामरिक रणनीति अध्ययन', रसायन विज्ञान, कम्प्यूटर अप्लीकेशन में से किसी एक विषय का ही चयन करेगा।
9. जैव रसायन विज्ञान तथा पर्यावरण विज्ञान में से किसी एक विषय का ही चयन करेगा।
10. वणिज्य संकाय का विद्यार्थी तीसरा मेजर अपना संकाय अर्थात वणिज्य संकाय से ही लेगा।

माइनर विषय का चयन

1. बहुविषयकता (Multidisciplinary) सुनिश्चित करने के लिए स्नातक स्तर पर तीन मेजर विषयों के अतिरिक्त विद्यार्थी को एक माइनर विषय का अध्ययन करना होगा। इस माइनर विषय का चयन विद्यार्थी अपना संकाय (Own Faculty) के विषयों में से अथवा अन्य संकाय (Other Faculty) के विषयों में से कर सकता है।
2. तीसरे मेजर विषय तथा माइनर विषय का चयन विद्यार्थी को इस प्रकार करना होगा कि इनमें से कोई एक अनिवार्यतः अपना संकाय (Own Faculty) के अतिरिक्त महाविद्यालय में उपलब्ध किसी अन्य संकाय (Other Faculty) में से हो।
3. विद्यार्थी माइनर विषय का चयन विषम सेमेस्टर अर्थात प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में करेगा। तथा द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर में करेगा। तृतीय वर्ष के पॉचवें सेमेस्टर में नहीं करेगा।
4. माइनर विषय वह विषय होगा जो उसने तीनों मेजर विषयों के रूप मे न लिया हो।
5. माइनर विषय में प्रेक्टिकल का प्राविधान नहीं होगा।
6. यदि विद्यार्थी विषम सेमेस्टर में माइनर विषय की परीक्षा छोड़ देता है अथवा अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे विषम सेमेस्टर में ही बैकलाग के रूप में उसी माइनर विषय की परीक्षा देकर उत्तीर्ण करना होगा।
5. विद्यार्थी माइनर विषय का चयन करते समय महाविद्यालय की समय–सारिणी का अवलोकन कर लें जिससे माइनर एवं मेजर विषयों की कक्षा का समय एक साथ न हो।
6. प्रत्येक सेमेस्टर के माइनर विषय का प्रश्न पत्र उस सेमेस्टर के मेजर विषय का प्रश्न पत्र ही होगा।
7. वणिज्य संकाय का विद्यार्थी माइनर विषय का चयन महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य संकाय (Other Faculty) से करेगा जो कि प्रथम और तृतीय सेमेस्टर से करेगा।

Co-curricular Course (सहगामी पाठ्यक्रम) का चयन –

प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में दिये गये निम्नलिखित अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम को अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करना होगा–

सेमेस्टर I- Food Nutrition and Hygiene
सेमेस्टर II- First Aid and Health
सेमेस्टर III- Human Values and Environmental Studies
सेमेस्टर IV- Physical Education and Yoga
सेमेस्टर V- Analytic Ability and Digital Awareness
सेमेस्टर VI- Communication Skill & Personality Development

प्रत्येक सेमेस्टर में उपर्युक्त 'को–करीकुलर पाठ्यक्रम' को 33% अंको के साथ उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। उत्तीर्ण नहीं होने की दशा में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री उपाधि आवंटित नहीं की जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित विद्यार्थी का होगा।

Vocational Course (कौशल विकास आधारित पाठ्यक्रम) का चयन–

- प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम सेमेस्टर से चौथे सेमेस्टर तक प्रत्येक सेमेस्टर में निम्नलिखित में से कोई एक वोकेशनल कोर्स/कौशल विकास आधारित पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

महाविद्यालय में उपलब्ध कौशल विकास पाठ्यक्रम की सूची–

a. Basic Computer Skill- Paper code : I160101V
b. Beautician - Paper code : I090101V
c. Yoga & Fitness - Paper code : I14010IV
d. Crop production management and seed processing - Paper code : I310101V

- यह भी ध्यान देने योग्य है कि विद्यार्थी प्रथम सेमेस्टर में जिस कौशल विकास पाठ्यक्रम का चुनाव करेगा अग्रिम चारों सेमेस्टर में उसी पाठ्यक्रम के उच्चीकृत पाठ्यक्रम का अध्ययन करेगा। मध्यवर्ती किसी भी सेमेस्टर में उपर्युक्त पाठ्यक्रम में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।
- प्रत्येक सेमेस्टर में वोकेशनल कोर्स को न्यूनतम 40% अंको के साथ उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अनुत्तीर्ण होने की दशा में अथवा वोकेशनल पाठ्यक्रम की परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने पर विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री आवंटित नहीं की जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित विद्यार्थी का होगा।

स्नातक द्वितीय वर्ष में विषयों के चयन हेतु ध्यातव्य बिन्दु

1. विद्यार्थी सर्वप्रथम महाविद्यालय की वेबसाइट www.kisanpgcollege.ac.in पर दिये गये लिंक पर ऑनलाइन फार्म भरेगा।
2. द्वितीय वर्ष के तृतीय व चतुर्थ सेमेस्टर में विद्यार्थी प्रथम वर्ष के ही तीनों मेजर विषयों और तृतीय सेमेस्टर में एक माइनर विषय का अध्ययन करेगा।
3. इनके अतिरिक्त विद्यार्थी तृतीय व चतुर्थ सेमेस्टर हेतु निर्धारित को–करीकुलर कोर्स तथा वोकेशनल कोर्स का अध्ययन करेगा।

स्नातक तृतीय वर्ष में विषयों के चयन हेतु ध्यातव्य बिन्दु

1. विद्यार्थी सर्वप्रथम महाविद्यालय की वेबसाइट www.kisanpgcollege.ac.in पर दिये गये लिंक पर ऑनलाइन फार्म भरेगा।
2. विद्यार्थी प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के तीन मेजर विषयों में से पहला और दूसरा मेजर विषयों (मेजर I & II) का अध्ययन करेगा।
3. दो मेजर विषयों के अतिरिक्त पंचम एवं षष्ठ सेमेस्टर हेतु निर्धारित को–करीकुलर कोर्स का अध्ययन करेगा।
4. विद्यार्थी पंचम एवं षष्ठ सेमेस्टर में माइनर एवं वोकेशनल कोर्स का अध्ययन नहीं करेगा।
5. विद्यार्थी को दोनों मेजर विषयों में से किसी एक विषय में एक लघु शोध परियोजना तैयार करनी होगी जो पंचम एवं षष्ठ सेमेस्टर के लिए संयुक्त रूप से होगी। जिसका मूल्यांकन षष्ठ सेमेस्टर में 100 अंको में होगा।

महाविद्यालय में परास्नातक के सत्र 2024–25 में प्रवेश हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश

परास्नातक (एम0ए0/एम0एस–सी/एम0काम0) प्रथम वर्ष

1. विद्यार्थी सर्वप्रथम निम्नलिखित संकायों में से किसी एक विषय में प्रवेश हेतु महाविद्यालय की वेबसाइट www.kisanpgcollege.ac.in पर दिये गये लिंक पर परास्नातक में आनलाइन आवेदन करेगा।
2. पंजीकरण हेतु फार्म में दिये गये व्यक्तिगत विवरण को पूरित करेगा तथा निर्धारित स्थान पर फोटो एवं हस्ताक्षर को अपलोड करेगा। इसके पश्चात् अपना शैक्षिक विवरण एवं बैंक विवरण की सूचना भरेगा।
3. विद्यार्थी विषय चयन हेतु स्नातक (बी0ए0/बी0एस–सी0) के अन्तिम वर्ष के दो मेजर विषयों में से ही परास्नातक (एम0ए0/एम0एस–सी0) के लिए किसी एक विषय का चयन करेगा। जो कि निम्नलिखित संकायों में दिये गये हैं।
4. स्नातक बी0कॉम0 उत्तीर्ण विद्यार्थी ही परास्नातक (एम0कॉम0) में प्रवेश ले सकेगा।
5. इसके पश्चात निर्धारित पंजीकरण शुल्क जमा करके पूरित फार्म की तीन प्रतियां ले लेगा।
6. निर्धारित तिथि पर आरक्षण की व्यवस्थानुसार मेरिट लिस्ट महाविद्यालय की वेबसाइट पर www.kisanpgcollege.ac.in पर जारी की जायेगी।
7. मेरिट लिस्ट के अनुसार काउन्सलिंग हेतु निर्धारित दिनांक पर विद्यार्थी अपने भरे हुए फार्म को समस्त शैक्षणिक एवं अन्य प्रपत्रों सहित महाविद्यालय में प्रवेश समिति के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।
8. प्रवेश समिति के अनुमोदन/स्वीकृति के पश्चात् विद्यार्थी को परास्नातक में प्रवेश दिया जायेगा।
9. प्रवेश समिति द्वारा सत्यापित होने के पश्चात् आनलाइन/बैंक चालान के माध्यम से विद्यार्थी को विषयानुसार निर्धारित प्रवेश शुल्क जमा करना होगा।
10. विद्यार्थी जमा की गयी फीस रसीद की एक प्रति भविष्य में प्रयोग हेतु अपने पास रखेगा एवं महाविद्यालय प्रति को महाविद्यालय में जमा करेगा।

महाविद्यालय में विभिन्न विषयों में परास्नातक संकाय

1- Faculty of Language (भाषा संकाय)–

- Hindi (हिन्दी)
- English (अंग्रेजी)
- Sanskrit (संस्कृत)
- Urdu (उर्दू)

2- Faculty of Arts, Humanities and social sciences (कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय)–

- Ancient History, Archaeology & Culture (प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति)
- Economics (अर्थशास्त्र)
- Education (शिक्षाशास्त्र)
- Geography (भूगोल)
- Medieval & Modern History (इतिहास)
- Political Science (राजनीति विज्ञान)
- Sociology (समाज शास्त्र)

3- Faculty of Science (विज्ञान संकाय)

- Botany (वनस्पति विज्ञान)
- Chemistry (रसायन विज्ञान)
- Mathematics (गणित)
- Physics (भौतिक विज्ञान)
- Zoology (जन्तु विज्ञान)

4- Faculty of Commerce (वाणिज्य संकाय)

- Commerce (वणिज्य)

परास्नातक (एम0ए0/एम0एस–सी/एम0काम0) द्वितीय वर्ष

- विद्यार्थी को परास्नातक द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर में सभी प्रश्न–पत्र के साथ एक अनुसन्धान परियोजना (Research Project/ Dissertation) भी पूर्ण करनी होगी जो उसे सम्बन्धित विषय के प्राध्यापक द्वारा आवंटित की जायेगी। अनुसन्धान परियोजना को पूर्ण किये बिना परास्नातक की डिग्री विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा प्रदान नही की जायेगी। जिसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित विद्यार्थी का होगा।

पी–एच0डी0 कार्यक्रम

1. पी–एच0डी0 कार्यक्रम में प्रवेश एवं संचालन के नियम यू0जी0सी0/शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार होंगें।